थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर   दिनांक 23.09.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बिजनौर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा गलत कार्य के आरोपी अभियुक्त को 25 वर्ष के कठोर कारावास से किया दण्डित।

सक्षिप्त विवरण-

दिनांक **10.05.2025** को वादी द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त शाने आलम पुत्र शखावत हुसैन निवासी ग्राम महावतपुर थाना अफजलगढ़ द्वारा वादी के नाबालिग पुत्र को गाना सुनाने के बहाने बहला फुसलाकर गलत कार्य किया गया । प्राप्त तहीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर मु0अ0सं0 144/2025 धारा 137(2) बीएनएस व 5एम/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

उक्त अभियोग में थाना अफजलगढ पुलिस एवं मॉनिटरिंग सेल द्वारा माननीय न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप दिनांक 23.09.2026 को **माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम, जनपद बिजनौर** द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्त शाने आलम पुत्र शखावत हुसैन निवासी ग्राम महावतपुर थाना अफजलगढ़ **जनपद बिजनौर** को धारा 6 पॉक्सो एक्ट में 25 वर्ष कठोर कारावास व 60,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । ।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता –

शाने आलम पुत्र शखावत हुसैन निवासी ग्राम महावतपुर थाना अफजलगढ़ जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट- यातायात पुलिस **दिनांक 23.09.2026**

दिनांक 23.09.2026 को यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा स्कूली वाहनों के विरुद्ध सख्त अभियान

दिनांकः 23.09.2026 को जनपद में छात्र-छात्राओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से **पुलिस अधीक्षक, यातायात, जनपद बिजनौर** के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा स्कूली वाहनों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य स्कूली वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों, वैध दस्तावेजों एवं यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराना है। इसी क्रम में **नूरपुर क्षेत्र स्थित सेंट मैरी स्कूल** के आसपास यातायात पुलिस टीम द्वारा स्कूली वाहनों की सघन चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान कुल **07 स्कूली वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही** की गयी। इनमें **04 स्कूली वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत चालानी कार्यवाही** की गयी, जबकि **03 स्कूली वाहनों के पंजीकरण संख्या/नंबर प्लेट प्रदर्शित नहीं थी व** पुलिस टीम को देखकर उक्त वाहनों के चालक वाहन मौके पर छोड़कर चले गये। जिन्हे नियमानुसार सीज कर **थाना नूरपुर में सुरक्षित खड़ा कराया गया**।

यातायात पुलिस की चेतावनी- स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बिना वैध दस्तावेज, बिना पंजीकरण संख्या/नंबर प्लेट अथवा निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन किये बिना स्कूली वाहनों का संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

यातायात पुलिस द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं अभिभावकों से अपील की गयी है कि बच्चों को विद्यालय लाने-ले जाने के लिए केवल **वैध दस्तावेजों एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों से युक्त वाहनों** का ही प्रयोग किया जाये तथा वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन के आवश्यक अभिलेखों की भी जांच की जाये।

यातायात पुलिस जनपद बिजनौर द्वारा स्कूली वाहनों की चेकिंग का यह अभियान आगे भी निरन्तर जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली देहात दिनाँक 23.09.2026

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 बाल अपचारी को घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर व एक खोखा कारतूस सहित पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

संक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

दिनांक 22-09-2026 को वादी श्री सतेन्द्र कुमार पुत्र हुकम सिंह निवासी ग्राम बेगमपुर हरे उर्फ हुर हुरनंगला थाना नगीना जनपद बिजनौर द्वारा थाना कोतवाली देहात पर तहरीर दी गयी 01 बाल अपचारी व दो अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसके बेटे मंयक पर जान से मारने की नीयत से तमंचें से फायर करके घायल कर दिया गया। जिसके उपरान्त घटना कारित करने वाले बालअपचारी को घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र व एक खोखा कारतूस सहित ग्रामवासियो द्वारा मौके से पकडकर थाना कोतवाली देहात पर सुपुर्द किया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 219/2026 धारा 109(1)/351(3)/3(5)बीएनएस व 9(1)(a)(1)/25(2)/27 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

एक बालअपचारी

बरामदगी का विवरण-

एक अवैध शस्त्र .315 बोर मय एक खोखा कारतूस

पुलिस अभिरक्षा में लेने वाली पुलिस टीम-

मु0आ0 595 प्रमोद कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना बढ़ापुर **दिनाँक 23.09.2026**

थाना बढापुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 159/2026 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्त को चोरी की गयी एक गाय सहित गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण व कार्यवाही-

दिनांक 22.09.2026 को वादी श्री मौ0 शाहिद पुत्र शब्बीर निवासी मौ0 सत्तीयान कस्बा व थाना बढापुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना बढापुर पर तहरीर दी गयी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसकी गाय चोरी कर ली गयी है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 159/2026 धारा-303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 23.09.2026 को थाना बढापुर पुलिस द्वारा अभियोग उपरोक्त से संबंधित अभियुक्तगण 1. गुलफाम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौहल्ला बाजार थाना बढापुर जनपद बिजनौर 2. यासीन पुत्र रमजानी निवासी ग्राम तारापुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर को चोरी की गयी एक गाय सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1.गुलफाम पुत्र अब्दुल गफ्फार निवासी मौहल्ला बाजार थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2.यासीन पुत्र रमजानी निवासी ग्राम तारापुर थाना बढापुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण

एक गाय

गिरफ्तार अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-159/26 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
2. मु0अ0सं0-174/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
3. मु0अ0सं0-202/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
4. मु0अ0सं0-160/24 धारा 115(2), 117(2), 351(2), 352 बीएनएस थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
5. मु0अ0सं0-208/24 धारा 115(2), 118(1), 351(2), 352 बीएनएस थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
6. मु0अ0सं0-66/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर
7. मु0अ0सं0 139/20 धारा 3/8 गौवध अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बढापुर जनपद बिजनौर
8. मु0अ0सं0-266/12 धारा 379 भादवि थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विष्णु शर्मा थाना बढापुर जनपद बिजनौर
2. है0कां0 685 शक्ति सिंह थाना बढापुर जनपद बिजनौर
3. कां0 406 शहंशाह अब्बास थाना बढापुर जनपद बिजनौर
4. कां0 2282 दानिश थाना बढापुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–रिजर्व पुलिस लाइन्स, जनपद बिजनौर   दिनॉक 23.09.2026

अन्तर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन, जनपद बिजनौर में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु 01 दिवस सांकेतिक भाषा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

आज दिनांक 23 सितम्बर 2026 को अन्तर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के अवसर पर, रिजर्व पुलिस लाइन्स जनपद बिजनौर में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निःशुल्क 01 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम पुलिस उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ) के आदेशों के क्रम में, अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश बधिर संस्था के महासचिव के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया गया।

इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मियों को बधिर (Deaf) व्यक्तियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने में सक्षम बनाना है, जिससे बधिर समुदाय के प्रति अधिक संवेदनशील और समावेशी पुलिस व्यवस्था को मजबूती दी जा सके।

कार्यशाला में अखिल भारतीय उत्तर प्रदेश बधिर संस्था से आए कुशल प्रशिक्षकों—विवेक राणा, शिवम कुमार, शान्तनु, अरविन्द, सुमित सिंह, विशाल राजपूत, अंकित कुमार, मौ0 सालिक, सांची राणा, अमन सिंह, अनश फरीदी, जुनैद , पूजा सिंह, विनिता चौधरी, वर्णिका एवं रिया द्वारा उपस्थित पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को सांकेतिक भाषा (Sign Language) का बुनियादी व व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रतिसार निरीक्षक (RI) पुलिस लाइन्स बिजनौर श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार, उप-निरीक्षक (स0पु0) अशोक तोमर एवं उप-निरीक्षक (स0पु0) ओम सिंह उपस्थित रहे। इनके साथ ही जनपद के समस्त थानों से आए उप-निरीक्षक (SI), मुख्य आरक्षी (Head Constables), आरक्षी (Constables) एवं महिला आरक्षियों ने इस प्रशिक्षण में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

कार्यक्रम के समापन पर प्रतिसार निरीक्षक श्री देवेन्द्र सिंह सिकरवार द्वारा पुलिस अधीक्षक जनपद बिजनौर की ओर से सभी बधिर प्रशिक्षकों को प्रशस्ति पत्र भेंट किए गए। उन्होंने पुलिस विभाग को अमूल्य प्रशिक्षण देने के लिए संस्था और उसके सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त किया।